पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–04/2021 (खंड)/...89(आ०) पं०रा०

**बिहार सरकार**

**पंचायती राज विभाग**

प्रेषक,

**नजर हुसैन,**
अपर सचिव

सेवा में,

**संयुक्त सचिव–सह–**
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 17.02.2026

**विषय : वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 81(स्वी०) दिनांक 17.02.2026 द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत भारत सरकार से प्राप्त Untied अनुदान की प्रथम किस्त की अवशेष राशि एवं द्वितीय किस्त की देय स्वीकृत क्रमशः ₹1.391+₹802.40 = ₹803.791 (आठ अरब तीन करोड़ उनासी लाख दस हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 81(स्वी०) दिनांक 17.02.2026 द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत भारत सरकार से प्राप्त Untied अनुदान की प्रथम किस्त की अवशेष राशि एवं द्वितीय किस्त की देय स्वीकृत कुल ₹8,03,79,10,000.00 (आठ अरब तीन करोड़ उनासी लाख दस हजार रूपये) मात्र की राशि को ग्राम पंचायतों (8049) के लिए संलग्न विवरणी–1, पंचायत समितियों (533) के लिए संलग्न विवरणी–2 एवं जिला परिषदों (38) के लिए संलग्न विवरणी–3 के अनुरूप वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत भारत सरकार से प्राप्त Untied अनुदान की प्रथम किस्त की अवशेष राशि एवं द्वितीय किस्त की देय स्वीकृत कुल ₹8,03,79,10,000.00 (आठ अरब तीन करोड़ उनासी लाख दस हजार रूपये) मात्र की राशि को मांग संख्या–16 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत संबंधित बजट शीर्षों से निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :–

| क्र० | PRIs | योजना शीर्ष | Untied Grant |
|---|---|---|---|
| i | ग्राम पंचायत | "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0001– पंचायत राज संस्थाओं को सहायता।<br>विषय शीर्ष–0001.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन<br>विपत्र कोड– 16–2515001980001 | 5626537000.00 |
| ii | पंचायत समिति | मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00– लघु शीर्ष–197–ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्त्ती स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0001– पंचायत राज संस्थाओं को सहायता।<br>विषय शीर्ष–0001.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन<br>विपत्र कोड– 16–2515001970001 | 1205686500.00 |
| iii | जिला परिषद् | मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0003–पंचायत राज संस्थाओं को सहायता।<br>विषय शीर्ष–0003.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन<br>विपत्र कोड–16–2515001960003 | 1205686500.00 |
| **कुल–** | | | **8037910000.00** |

<u>आठ अरब तीन करोड़ उनासी लाख दस हजार रूपये मात्र</u>

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संयुक्त सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से CFMS एवं PFMS Treasury Integration के माध्यम से उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ ग्राम पंचायतों के लिए संलग्न विवरणी–1 (राज्य के 8049 ग्राम पंचायतों), पंचायत समितियों के लिए संलग्न विवरणी–2 (राज्य के 533 पंचायत समितियों) एवं जिला परिषदों के लिए संलग्न विवरणी–3 (राज्य के 38 जिला परिषदों) के अनुरूप करते हुए Untied अनुदान की राशि को ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के संबंधित बैंक खातों में अंतरित करेंगे।

4. 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत भारत सरकार से प्राप्त Untied अनुदान की राशि को राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों) के बीच वितरित किये जाने के क्रम में यदि कोई त्रुटिपूर्ण (कम/अधिक) वितरण होता है, तो इस त्रुटिपूर्ण राशि का समायोजन आगामी किस्तों में वितरित की जाने वाली राशि में से किया जा सकेगा।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 227 दिनांक 28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का उपयोग विभागीय राज्यादेश संख्या 27(रा०) दिनांक 13.09.2021, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.15(4)FC-XV/FCD/2020-25 दिनांक 14.07.2021 एवं विभागीय पत्रांक 15132 दिनांक 21.11.2023 में निहित अनुदेशों के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

7. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. जिला पंचायत राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

10. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–04/2021 (खंड) के पृष्ठ संख्या 57...../टि० पर दिनांक 17.02.26 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

17/2/26

(नजर हुसैन)

अपर सचिव

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2025-26\Estb & Commt Exp\15th FC 2025-26\Letters.docx100

ज्ञापांक :5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–04/2021 (खंड)/89(आ०)/पं०रा०, पटना, दिनांक 17.02

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी–03, 06 एवं 07(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटनाको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.2.26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक :5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–04/2021 (खंड)/89(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 17.02.202

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.2.26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक :5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–04/2021 (खंड)/89(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 17.02.202

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17.2.26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव